रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1973/वैशाख 20, 1895
No. 114] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1973/VAISAKHA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May 1973

G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:—

1. (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. After rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the following rule shall be inserted, namely:—

"4.A. *Other exemptions in respect of Telephone Charges.*—(1) Where metering facility in respect of the telephone installed under sub-rule (3) of rule 4 is available, local calls made from that telephone and local calls made from the telephone installed under sub-rule (1) of rule 4 shall be pooled together and a Member shall not be liable to make any payment in respect of ten thousand eight hundred local calls made from the two telephones during any year.

(2) Where metering facility in respect of the telephone installed under sub-rule (3) of rule 4 is not available, no Member shall be liable to make any payment in respect of the local calls made from that telephone and in respect of another two thousand seven hundred local calls, in addition to five thousand four hundred local calls, made from the telephone installed under sub-rule (1) of rule 4 during any year.

(3) Where a Member has either not been provided with a telephone or does not desire to be provided with a telephone under sub-rule (3) of Rule 4, he shall not be liable to make any payment in respect of additional five thousand four hundred local calls made from the telephone installed under sub-rule (1) of rule 4 during any year."

[No. R.S. 8/73-MSA.]

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा० का० नि० 248(अ).—संसद् सदस्यों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात आवास तथा टेलिफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, जो उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित राज्यसभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आवास तथा टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियम, 1973 है :

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 आवास तथा टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4. क. टेलीफोन प्रभारों के बारे में अन्य छूट.—(1) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के बारे में मापनसुविधा उपलभ्य है, वहां उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कालें और नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई स्थानीय कालें एकत्रित की जाएंगी और किसी वर्ष के दौरान दोनों टेलीफोनों से की गई दस हजार आंठ सौ स्थानीय कालों के बारे में सदस्य किसी संदाय का दायी नहीं होगा ।

(2) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के बारे में मापन-सुविधा उपलभ्य न हो, वहां उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कालों के बारे में और किसी वर्ष के दौरान नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई पांच हजार चार सौ स्थानी कालों से अतिरिक्त अन्य दो हजार सात सौ स्थानीय कालों के बारे में सदस्य किसी संदाय का दायी नहीं होगा ।

(3) जहां किसी सदस्य को या तो कोई टेलीफोन नहीं दिया गया है या नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन टेलीफोन देने की वह वांच्छा नहीं करता है, वहां वह किसी वर्ष के दौरान नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई अतिरिक्त पांच हजार चार सौ स्थानीय काल के बारे मे किसी संदाय का दायी नहीं होगा ।"

[सं० आर०एस० 8/73-एम०एस०ए०]

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973